

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Vihan_Enterprises/717/ 4234

भोपाल, दिनांक 15/01/2024

प्रति,

Vihan Enterprises Private Limited,
A-207, Pallavi Nagar, Near DanaPani Restaurant,
Bawadiya Kalan, Bhopal (MP) - 462026,

Vihan Enterprises Private Limited,
Vihan Food Park, Village - Jarrapur, Bansapur,
Tehsil - Budhni, Sehore (MP)

विषय :- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति)
नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति के संबंध में।

संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 30/11/2023।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन निर्मित नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु Vihan Enterprises Private Limited से संदर्भित आवेदन प्राप्त हुआ है।

संदर्भित आवेदन के माध्यम से निम्न विनिर्दिष्ट मंडियों के क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित कृषि उपज - "धान्य तथा दलहन" का कारोबार करने हेतु क्रय केंद्र स्थापना की अनुमति हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है-

क्र	मंडी समिति का नाम	क्रय की जाने वाली कृषि उपज का समूह
1	रेहटी	"धान्य तथा दलहन"
2	सीहोर	"धान्य तथा दलहन"
3	इटारसी	"धान्य तथा दलहन"

3. आवेदन पर विचारोपरांत Vihan Enterprises Private Limited को नियम 2009 के तहत उक्त बिंदु 2 में अंकित मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने का विनिश्चय किया गया है। विशेष अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र एवं संलग्नक प्रसारित किया जा रहा है। संलग्नक में अनुमोदित क्रय केंद्रों की सूची संलग्न है जोकि उक्त विशेष अनुज्ञप्ति का भाग होगी। उक्त सभी क्रय केंद्रों को सम्मिलित

mail

कर अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम क्रय मात्रा के संबंध में नियम 2009 की कंडिका 4(2) के प्रावधान लागू रहेंगे।

4. अधिनियम, नियम, उपविधि के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य करने के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

14/02/24

(श्रीमन् शुक्ला)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Vihan_Enterprises/717/4235

भोपाल, दिनांक 15/02/2024

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय _____ (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाए।
2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति _____ जिला _____, म. प्र. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक संचालक (आईटी शाखा), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी Vihan Enterprises Private Limited को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति (अद्यतन) की ई-अनुज्ञा पोर्टल में आवश्यक प्रविष्टि की जाए।

↓

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

15/2/24

श्रीमन् शुक्ला

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप - तीन
(नियम 9 देखिए)

एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष
अनुज्ञप्ति

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2024/39

दिनांक 15/02/2024

श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स Vihan Enterprises Private Limited पता पंजीकृत पता - A-207,
Pallavi Nagar, Near DanaPani Restaurant, Bawadiya Kalan, Bhopal (MP) -
462026, व्यापार पता - Vihan Food Park, Village - Jarrapur, Bansapur, Tehsil -
Budhni, Sehore (MP) को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी
क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार हेतु तारीख15... माह.....^{फरवरी} वर्ष 2024 तक विशेष
अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है :-

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारोबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारोबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केंद्रों के नाम	कारोबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
संलग्न सूची - परिशिष्ट - 1 अनुसार.						

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केंद्रों में मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे :-

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मीट्रिक टन में (नियम 4 (2) देखिए)
1	धान्य तथा दलहन	नियम 4(2) अनुसार

3. अनुज्ञप्तिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञप्ति के दिए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केंद्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा :-

- (एक) इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज
- (दो) पेयजल की समुचित व्यवस्था
- (तीन) समुचित प्रकाश व्यवस्था
- (चार) पुरुष/महिला के लिए शौचालय की सुविधा
- (पांच) शेड की व्यवस्था

- (छह) कृषकों के लिए छायादार विश्राम स्थल
 (सात) भुगतान काउंटर
 (आठ) ट्रेक्टर ट्राली की पार्किंग की समूचित व्यवस्था
 (नौ) नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिए उपकरण तथा मानव शक्ति
 (दस) प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापना
 (ग्यारह) क्रय-विक्रय लेखा की मैनुअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण.

एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामले में -


- (एक) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म
 (दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा.
 (तीन) सुपुर्दगी केंद्र

विनिर्दिष्ट क्रय केंद्रों में से किसी क्रय केंद्रों में प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त प्रसुविधाओं को सृजित करने में असफल रहने पर, एक वर्ष के लिए दी गई अनंतिम विशेष अनुज्ञप्ति को ऐसे क्रय केंद्र के लिए आगामी वर्षों के लिए नियमित नहीं किया जाएगा.

4. यह विशेष अनुज्ञप्ति दिनांक 15 / 02 / 2024 से 14 / 02 / 2025 तक प्रभावशील रहेगी, परंतु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रद्द की जा सकेगी.

5. यह अनंतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी :-

- (एक) विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर
 (दो) मंडी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर.
 (तीन) मंडी फीस का अपवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मंडी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाए जाने पर.
 (चार) मंडी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाए जाने पर.
 (पाँच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गई उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियां प्रस्तुत न करने पर.
 (छ) बोर्ड, मंडी समिति से जारी किए गए निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाए जाने पर.
 (सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किए जाने पर.



14/02/24
 अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
 प्रधान सचिव/अधिसूचित प्राधिकारी/अधिसूचित प्राधिकारी
 मध्य प्रदेश सरकार, विपणन बोर्ड
 म.प्र. राज्य कृषिविज्ञान बोर्ड,
 भोपाल (म.प्र.)

Vihan Enterprises Private Limited,
A-207, Pallavi Nagar, Near DanaPani Restaurant,
Bawadiya Kalan, Bhopal (MP) - 462026

Vihan Food Park, Village - Jarrapur, Bansapur,
Tehsil - Budhni, Sehore (MP)

ema

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2024/39 दिनांक 15/02/2024

क्रय केंद्र सूची

अनु क्र	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केंद्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
1	"धान्य तथा दलहन"	रेहटी	रेहटी	-	A-207, Pallavi Nagar, Near DanaPani Restaurant, Bawadiya Kalan, Bhopal (MP) - 462026	श्री विकास सबलानी मो.नं.- 89649 10569
2	"धान्य तथा दलहन"	सीहोर	सीहोर	-	A-207, Pallavi Nagar, Near DanaPani Restaurant, Bawadiya Kalan, Bhopal (MP) - 462026	श्री विकास सबलानी मो.नं.- 89649 10569
3	"धान्य तथा दलहन"	इटारसी	इटारसी	-	A-207, Pallavi Nagar, Near DanaPani Restaurant, Bawadiya Kalan, Bhopal (MP) - 462026	श्री विकास सबलानी मो.नं.- 89649 10569

कार्यालय
प्रबंध संचालक, सह आयुक्त
अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषिविपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)